कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, झाँसी

सेवा में,

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

पत्रांक 3357/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/2 दिनांक 31/12/15

विषय – तलपट मानचित्र सं0 041100415 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या 1145/जे0डी0ए0–अना0 प्रमाण पत्र (2015–16) दिनांक 30.11.2015 जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं श्री अरूण व श्री अनूप अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनारायण अग्रवाल निवासी 21 केवलरी रोड, कैण्ट सदर बाजार, झाँसी को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

श्री अरूण व श्री अनूप अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनारायण अग्रवाल निवासी 21 केवलरी रोड, कैण्ट सदर बाजार, झाँसी पर प्रस्तुत आवासीय मानचित्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए किये गये प्रस्ताव के क्रम में जो झाँसी नगर निगम के अन्तर्गत है तथा प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 336, 337 एवं 345 मौजा तालपुरा तहसील झाँसी है पर झाँसी जल संस्थान द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। जिनके अभाव मे अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेय निरस्त समझा जायेगा।

1. सम्बन्धित स्थल में जल संस्थान झाँसी की वर्तमान में जलापूर्ति एव सीवर व्यवस्था नहीं है। भविष्य मे उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवर के लिए पाइप लाइन आदि बिछाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय जल संस्थान झाँसी मे जमा कराया जायेगा जो उक्त भू–स्वामी/फर्म द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 2186.82 वर्गमीटर पर केवल आवासीय कालोनी के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है। तो पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखडीय विकास हेतु अवश्य जलापूर्ति एवं तथा सीवरेज निस्तारण हेतु जल संस्थान द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वयं अपने व्यय स्तर पर निर्धारत मानकों के अनुरूप करानी पडेगी। संचालन एवं रखरखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सम्बन्धित क्षेत्र मे यदि भविष्य मे सीवर लाइन डाली जाती है। तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान कराने पर ही दिया जा सकेगा।
5. सीवर व्यवस्था के लिए उचित सीवर सशोधन एवं उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण मे रखते हेतु वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करना होगा।

6. प्रस्तावित स्थल में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य मे पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर दिया जा सकेगा।
7. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय का भुगतान कराना होगा।
8. भविष्य मे जलापूर्ति व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर भू-स्वामी/भूमि का उपयोग कराये जाने वाले व्यक्ति/फर्म को जल संयोजन के लिये जल संस्थान के समक्ष प्रथक से आवेदन करने के उपरान्त ही जल संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कराने पर ही अनुमन्य होगा जिसके लिये शपथ पत्र दिया जाना होगा।
9. प्रस्तुत आवासीय ले-आउट मे आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित प्रस्तुतकर्ता को जल श्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी जिसके अन्तर्गत मानचित प्रस्तुतकर्ता द्वारा नियमों एवं मानक के अनुसार कार्य कराना होगा।

भवदीय,

(आर०एस० यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक महोदय झांसी डिविजन जल संस्थान झांसी।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी।
3. लेखाकार जल संस्थान झाँसी।
4. श्री अरूण व श्री अनूप अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनारायण अग्रवाल निवासी 21 केवलरी रोड, कैण्ट सदर बाजार, झाँसी।

अधिशासी अभियन्ता